जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नामित एजेन्सी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 19.06.2026 की कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यो की प्रगति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक 19.06.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार लखीमपुर खीरी में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री अभिषेक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
2. श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
3. श्री प्रवीण कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. श्री विशाल सिंह, डी0पी0आर0ओ0 लखीमपुर खीरी।
5. श्री अमर नाथ मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता नलकूप, लखीमपुर खीरी।
6. डॉ0 धनी राम, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी।
7. श्री मनोज कुमार मौर्य अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखीमपुर खीरी।
8. श्री सौरभ कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखीमपुर खीरी।
9. श्री सुनील कुमार शुक्ला, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखीमपुर खीरी।
10. श्री राहत हुसैन, डी0टी0एल0, टी0पी0आई0, मै0 सी0एस0 टेक लि0, लखीमपुर खीरी।
11. श्री सुब्बा राजू, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0सी0सी0लि0, लखीमपुर खीरी।
12. श्री प्रियांशू यादव, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 वी0टी0एल, लखीमपुर खीरी।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं–

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखीमपुर खीरी द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद में कुल 116 नग पेयजल योजनाएं बनायी गयी, जिनमें 139 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। सम्पूर्ण जनपद को संतृप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 904 नग पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें 1553 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है, पेयजल योजनाओं में 942 नग नलकूप, 942 नग पम्प हाउस, 942 नग बाउण्ड्रीवॉल, 942 नग सोलर प्लान्ट, 922 नग शिरोपरि जलाशय, 11534 कि0मी0 वितरण प्रणाली एवं 564407 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 939 नग नलकूप, 869 नग पम्प हाउस, 872 नग बाउण्ड्रीवॉल, 872 नग सोलर प्लान्ट, 490 नग शिरोपरि जलाशय, 11519 कि0मी0 वितरण प्रणाली एवं 538904 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिए गए है, शेष कार्य प्रगति पर है। जनपद में कुल 1553 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 1119 नग राजस्व ग्रामों में नियमित क्लोरीनयुक्त स्वच्छ पेयजलापूर्ति की जा रही है। 931 नग राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 405 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल सर्टिफाइड कर लिया गया है एवं 156 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण चरण में ले जाया जा चुका है। बैठक में अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उनमें बिना किसी बाधा

के निरन्तर क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। पाइप लाइन व पेयजल गृह संयोजन किए जाने हेतु खोदी गयी सड़को को अभियान चलाकर गुणवत्तापूर्वक पुर्नस्थापित कर ली जाए एवं लीकेज की शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराया जाए।

- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल ग्रामों का E-gramswaraj पोर्टल पर ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान की लॉगिन आई0डी0 से जल सेवा आंकलन किया जाना है, जिसके क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी में 627 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 625 नग राजस्व ग्रामों में जल सेवा आंकलन किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि समन्वय स्थापित कर भविष्य में भी इसी प्रकार कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कुल 4782 नग हैबिटेशन की RPWSS ID JJM 2.0 पोर्टल पर बनाई जानी है। जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 4708 नग हैबिटेशन की RPWSS ID JJM 2.0 पोर्टल पर बनायी जा चुकी है।

- **<u>मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा</u>–** समीक्षा बैठक में उपस्थित एन0सी0सी0 फर्म के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सुब्बा राजू द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 667 नग पाइप पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 687 नग शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष 411 नग शिरोपरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसकी प्रगति काफी असंतोषजनक है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों में अतिरिक्त मैनपावर लगाते हुए अपेक्षित प्रगति लाने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा सभी निर्मित जलाशयों का स्ट्रक्चरल, ऑडिट कराये जा रहे हैं जिसमें वर्तमान तक 75 शिरोपरी जलाशय के स्ट्रक्चरल ऑडिट करा लिये गये हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है। नियमित जलापूर्ति हेतु लक्षित कुल 1069 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 743 राजस्व ग्रामों में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसे 15 जुलाई 2026 तक बढ़ाकर 800 ग्रामों में जलापूर्ति करने के निर्देश दिये गये।

- **<u>मै0 वी0टी0एल0 गाजा इंजी0 लि0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा</u>–** समीक्षा बैठक में उपस्थित वी0टी0एल0 फर्म के डी0पी0एम0 श्री प्रियांशू यादव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 237 नग पाइप पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 240 नग शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष 73 नग शिरोपरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसकी प्रगति काफी असंतोषजनक है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों में अतिरिक्त मैनपावर लगाते हुए अपेक्षित प्रगति लाने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये। नियमित जलापूर्ति के लक्ष्य 482 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 376 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसे माह जुलाई तक बढ़ाकर 425 ग्रामों में जलापूर्ति करने के निर्देश दिये गये।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

I. नियमित जलापूर्ति में हो रही बाधा के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं में सोलर वायर की चोरी होने का कारण बताया गया जिसके लिए एजेंसी को निर्देशित किया गया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवश्यक मैन पावर/गार्ड रखे जाए, पाइप पेयजल योजना पर सोलर वायर/अन्य सामग्री चोरी होने की दशा में संबंधित गार्ड की भी जिम्मेदारी तय की जाए व चोरी होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाने में भी प्राथमिकी दर्ज करायी जाए।

II. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 5 योजनाओं में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य बाधित है। मा0 न्यायालय में कुल 04 प्रकरण (ग्राम पंचायत जगदेवपुर, ओयल देहात, नगला व मरूआ पश्चिम) विचाराधीन है तथा उनमें निर्गत स्थगन आदेश प्रभावी है जिसको निरस्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी के करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि जल निगम उक्त वादों का पक्षकार नहीं है तो न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर पक्षकार बनकर तथ्यों को मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाएं। शेष 01 प्रकरण जिसमें (ग्राम पंचायत गौढ़ी) स्थानीय/प्रशासनिक विवाद के कारण कार्य प्रभावित है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कराकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

III. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बरसात से पूर्व नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक कार्य प्रत्येक दशा में 30 जून तक पूर्ण करते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए।

IV. जल कल परिसरों में साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए गए।

V. समीक्षा बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि शिरोपरी जलाशय के निर्माण कार्यों के दौरान उठाई गयी आपत्तियों (एन0सी0) में से 73 नग एन0सी0 क्लोजर हेतु पेंडिंग हैं जिनमें एन0सी0सी0 लि0 के 41 नग एवं वी0टी0एल0 की 32 नग एन0सी0 पेंडिंग है। एन0सी0सी0 एवं वी0टी0एल0 लि0 के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त पेंडिंग एन0सी0 का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण 15 दिवस में कर लिया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। टी0पी0आई0 को निर्देश दिये गये कि उपरोक्त कार्यों का सघन अनुश्रवण करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य ससमय पूर्ण करायें।

VI. बरसात के पहले जिन ग्रामों में कमिशनिंग एवं टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन ग्रामों में वितरण प्रणाली डालने के दौरान तोड़ी गयी सड़क को शत–प्रतिशत पुर्नस्थापित कर लिया जाए। साथ ही जिन ग्रामों में अभी टेस्टिंग, गृह संयोजन के कार्य अवशेष हो उनमें समस्त सड़कों को मोटरेबल किये जाने के निर्देश भी दिए गए।

VII. समीक्षा में पाया गया कि वितरण प्रणाली का कार्य शत–प्रतिशत व गृह संयोजनों का कार्य भी 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया। परन्तु वर्तमान में कुल लक्षित 1553 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 1119 राजस्व ग्रामों में ही जलापूर्ति की जा रही हैं जिसकी प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। क्षेत्रों में भ्रमण/शिकायत पत्रों के अवलोकन से यह तथ्य संज्ञान में आ रहे हैं कि ज्वाइंटिंग कार्य/लीकेज मरम्मत कार्य के अभाव में योजना से संचालन का कार्य नहीं हो रहा है जिन ग्रामों में जलापूर्ति हो रही है उनमें भी सभी मजरों में न होकर आंशिक रूप से हो रही है जो काफी आपत्ति जनक है। उपस्थित

मरम्मत कार्य के अभाव में योजना से संचालन का कार्य नहीं हो रहा है जिन ग्रामों में जलापूर्ति हो रही है उनमें भी सभी मजरों में न होकर आंशिक रूप से हो रही है जो काफी आपत्ति जनक है। उपस्थित दोनों फर्मों के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि निरन्तर जलापूर्ति में आ रही बाधा को डेडिकेटेड टीम लगाकर तत्काल निस्तारित कराकर हर हाल में क्लोरीन युक्त जलापूर्ति सभी मजरों में की जाए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए।

VIII. आई0जी0आर0एस0 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई में कुल 1296 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बैठक में उपस्थित दोनों फर्मों के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि पेयजल योजनाओं में परिलक्षित कमियों का स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल निस्तारण करा ले जिससे शिकायत में कमी आये साथ ही शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए प्रति विकास खण्डवार लीकेज मरम्मत/ज्वाइंटिंग/गृह संयोजन इत्यादि कार्यों के लिए अलग से डेडिकेटेड टीम लगायी जाए जो निरन्तर भ्रमणशील रहे एवं तत्काल समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें।

जिलाधिकारी
लखीमपुर–खीरी।

कार्यालय जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।

पत्रांक 2252 / WS-36 / 424 दिनांक- 30/06/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
5. डी०टी०एल० मेसर्स सेन्सिस टेक लि० टी०पी०आई०, लखीमपुर खीरी।
6. श्री प्रियांशु यादव, डी0पी0एम0, मै0 वी0टी0एल0 गाजा लि0 (जे0वी0) पंजाबी कालोनी, लखीमपुर–खीरी।
7. मो० जमाल, (डी०पी०एम०), मै० एन०सी०सी०लि०, ग्राम डिम्हौरा, बाबागंज, लखीमपुर खीरी।
8. गार्ड फाइल।

जिलाधिकारी
लखीमपुर–खीरी।